LUNI POWER COMPANY PVT. LTD.

Site Office: Luni Power House, Village Deol khas, P.O. & Tehsil Baijnath, District Kangra, HP-176125
E-mail: luni.power@kundanenergy.com | CIN: U40101HP2001PTC028999

KUNDAN

Ref: LPCPL/Forest/3/2

Date: 26-05-2023

To,
The Deputy Conservator of forest,
Palampur Forest Division,
Palampur, District Kangra.

Sub: Diversion Of 7.3991 ha of forest land in favor of Luni Power Company Private Ltd, Village Deol khas, Post & Tehsil Baijnath, District Kangra, H.P - 176125, for the construction of 33 KV S/C Transmission Line from Luni -I SHEP Switchyard to 33 KV HPESB Ltd. Baijnath Sub-station, within the jurisdiction of Palampur Forest Division, District Kangra, Himachal Pradesh. (FP/HP/TRANS/40307/2019)

With reference to IRO letter number 8B/HP/04/15/2020/FC/194, dated 16-05-2023. The Point wise reply to the Observations is submitted as below:

S. No	Observations	Reply
1	The reply of the EDS has been provided after a period of three years. Therefore, necessary justification regarding the delay of the reply may be provide by the State Government.	The reply to the EDS could not be submitted well in time due to the reason that the Forest Rights Committees (FRCs) involved in the project were not processing the request of the project proponent to issue FRA Certificate and the FRCs took a very long time to issue the recommendation letters to the concerned SDM regarding issuance of FRA certificate. Recommendation letters were issued by these FRCs during February 2023. Copies of these letters are enclosed.
2	There is a mismatch in the amount of CA mentioned in the recommendation letter of DFO and the amount of CA mentioned in the CA scheme. This needs to be reviewed and revised.	Pertains to the forest department.
3	Comment of DFO is not submitted regarding presence or absence of rare/endangered/unique species of flora and fauna found in this area in SIR in Para 15 of Part – II. Needful correction in SIR is required.	Pertains to the forest department.
4	Comments on flora and fauna is not in downloadable/readable format. Needful correction in this regard may be done.	Pertains to the forest department

Thanking You

Yours Faithfully
For M/s Luni Power Company Pvt Ltd

Authorized Signatory
Encl: As above

आज़ादी का अमृत महोत्सव
भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय
Integrated Regional Office
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
Ministry of Environment, Forest and ClimateChange
सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स, शिवालिक खण्ड, लॉंगवुड
CGO Complex, ShivalikKhand, Longwood
शिमला, हिमाचल प्रदेश-171001
Shimla, Himachal Pradesh - 171001

सत्यमेव जयते

ईमेल/Email : iro.shimla-mefcc@gov.in
दूरभाष/Tel.: 0177-2658285
0177-2652541
फैक्स/Fax: 0177-2657517

LiFE Lifestyle for Environment

पत्र सं0: 8B/HP/04/15/2020/FC/194 दिनांक: 16.05.2023

सेवा में,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)
हिमाचल प्रदेश सरकार,
आर्म्सडेल बिल्डिंग, शिमला।
(Email:- forestsecy-hp@nic.in)

विषयः **Diversion of 7.3391 ha of forest land in favour of Luni Power Company private limited for the construction of 33 kv S/C Transmission line from Luni-I SHEP to 33 KV HPSEBL Baijmath Sub-Station within the jurisdiction of Palampur Forest Division in Distt. Kangra, Himachal Pradesh**

संदर्भः Online Proposal No. FP/HP/Trans/40307/2019 received on 27.04.2023

महोदय,

उपरोक्त विषय पर संदर्भित पत्र का आशय ग्रहण करते हुए आपको यह सूचित करना है कि प्रस्ताव में निम्नलिखित कमियां पाई गयी हैं। अतः राज्य सरकार निम्न बिन्दुओं पर आवश्यक सूचनाएं प्रेषित करने का कष्ट करें, ताकि आगामी कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके :–

1. The reply of the EDS has been provided after a period of three years. Therefore, necessary justification regarding the delay of the reply may be provided by the State Government.
2. There is a mismatch in the amount of CA mentioned in the recommendation letter of DFO and the amount of CA mentioned in the CA scheme. This needs to be reviewed and revised.
3. Comment of DFO is not submitted regarding presence or absence of rare/endangered/unique species of flora and fauna found in this area in SIR in Para 15 of Part-II. Needful correction in SIR is required.
4. Comments on flora and fauna is not in downloadable/readable format. Needful correction in this regard may be done.

यदि चाही गई सूचना पत्र जारी होने की तिथि के 60 दिनों के भीतर (अधिकतम 90 दिन) इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुई तो प्रस्ताव को निरस्त किया जा सकता है।

भवदीय,

(सत्य प्रकाश नेगी)
क्षेत्रीय अधिकारी 16/5/2023

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. नोडल अधिकारी–सह–अतिरिक्त प्रधान मुख्य अरण्यपाल (एफ.सी.ए.), हिमाचल प्रदेश सरकार, वन विभाग, टालैंड, शिमला (E-mail: nodalfcahp@yahoo.com).
2. वन मण्डल अधिकारी, पालमपुर वन मण्डल, जिला- कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश (E-mail: dfopal-hp@nic.in).

Annexure-V

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम ,2006

ग्राम सभा......सेहल..

विकास खण्ड....बैजनाथ..................जिला....कांगड़ा..............(हि०प्र०)

प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनांक..01/02/2023

गणपूर्ति........316...../...607..................

प्रस्ताव संख्या...5..........

विषयः अनापत्ति प्रमाण पत्र देने बारे ....विभाग/संस्था को लूनी पावर कंपनी प्रा. लि. ..4.5 MW.....के निर्माण हेतू......सेहल..............

...............जंगल/ वन क्षेत्र में प्रस्तावित.....0.4287.........................हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतू।

ग्राम सभा ....सेहल..............................की बैठक आज दिनांक..........01-02-23.......को....11:00.....................बजे, स्थान...[illegible] देवी के घर..........................में की गई, जिसमें....लूनी पावर कंपनी प्रा. लि. ...विभाग/संस्था को ......बिजली लाइन..........के निर्माण हेतू....वन अधिकार क्षेत्र मुहाल सेहल......................जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित.........0.4287..............हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई।

सभी ग्रामवासियों ने संबधिंत वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतू उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह समझने के बाद सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर सहमत है।

ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम , 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सर्व सम्मति से यह पारित किया गया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे सम्बन्धित सारी प्रकिया पूरी की जा रही है/कर ली गई है तथा प्रस्तावित.....0.4287.........हैक्टेयर वन भूमि को बिजली लाइन.......................निर्माण हेतू उपयोग के लिए ग्राम सभा......सेहल....................................की सहमति दी जाती है।

स्थान.....सेहल..........

दिनांक....01/02/2023........

(Signature)

अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता

ग्राम सभा....सेहल..............

(Signature)

प्रधान .... सचिव

वन अधिकार कमेटी

गांव ....पंचायत ....

तह० बैजनाथ जिला कांगड़ा (हि०प्र०)

Scanned with CamScanner

Annexure-V

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम ,2006

ग्राम सभा......दबोल..

विकास खण्ड...बैजनाथ......................जिला.....कांगड़ा................(हि०प्र०)

प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनांक 16-01-2023

गणपूर्ति......221........../......432..........   प्रस्ताव संख्या...06.........

विषयः ..अनापत्ति प्रमाण पत्र देने बारे..........विभाग/संस्था को लूणी पावर कंपनी प्रा. लि.

..4.5 MW..........के निर्माण हेतू............मुहाल दबोल.......................................

.................जंगल/ वन क्षेत्र में प्रस्तावित....................1.5762.........................हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतू।

ग्राम सभा ......दबोल..की बैठक आज दिनांक.......... 16-01-2023......को..........11:00..............बजे, स्थान.....ग्राम पंचायत दबोल...........................में की गई, जिसमें...लूणी पावर कंपनी प्रा. लि.......विभाग/संस्था को ......बिजली लाईन.................. ....के निर्माण हेतू.......वन अधिकार क्षेत्र मुहाल दबोल...............................जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित...... ....1.5762..................हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई।

सभी ग्रामवासियों ने संबंधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतू उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह समझने के बाद सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर सहमत है।

ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम , 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सर्व सम्मति से यह पारित किया गया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे सम्बन्धित सारी प्रक्रिया पूरी की जा रही है/कर ली गई है तथा प्रस्तावित.......1.5762..........हैक्टेयर वन भूमि को...बिजली लाईन..............................निर्माण हेतू उपयोग के लिए ग्राम सभा..........दबोल.......................................की सहमति दी जाती है।

स्थान......पंचायत भवन दबोल

दिनांक........16-01-23...............

अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता

ग्राम सभा

सचिव
वन अधिकार कमेटी
गांव दबोल......पंचायत दबोल......
तह० बैजनाथ जिला कांगड़ा (हि०प्र०)

Ravi Kumar

Scanned with CamScanner

Annexure-V

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा मलघोटा
विकास खण्ड बैजनाथ जिला कांगड़ा (हि०प्र०)

प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनांक 12-02-2023

गणपूर्ति 132 / 252 प्रस्ताव संख्या 5

विषय: अनापति प्रमाण पत्र देने बारे विभाग/संस्था को लूणी पावर कंपनी प्रा. लि. 4.5 MW के निर्माण हेतू मुहाल मलघोटा जंगल/ वन क्षेत्र में प्रस्तावित 0.3241 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतू।

ग्राम सभा मलघोटा की बैठक आज दिनांक 12-02-2023 को 12:00 बजे, स्थान मलघोटा महिला मंडल भवन में की गई, जिसमे लूणी पावर कंपनी प्रा. लि. विभाग/संस्था को बिजली लाइन के निर्माण हेतू वन अधिकार क्षेत्र मुहाल मलघोटा जंगल/वन क्षेत्र मे प्रस्तावित 0.3241 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई।

सभी ग्रामवासियो ने सबधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतू उपयोग के उद्देश्यो को पूरी तरह समझने के बाद सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर सहमत है।

ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियन, 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारो के दावों के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सर्व सम्मति से यह पारित किया गया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे सम्बन्धित सारी प्रकिया पूरी की जा रही है/कर ली गई है तथा प्रस्तावित 0.3241 हैक्टेयर वन भूमि को बिजली लाइन निर्माण हेतू उपयोग के लिए ग्राम सभा मलघोटा की सहमति दी जाती है।

स्थान मलघोटा
दिनांक 12-02-2023

अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता
ग्राम सभा मलघोटा

(Stamp: वन अधिकार कमेटी, गाँव .... पंचायत ...., तह० बैजनाथ जिला कांगड़ा (हि०))

Annexure-V

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम ,2006

ग्राम सभा धरेड़

विकास खण्ड बैजनाथ ,जिला कांगड़ा (हि०प्र०)

प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनांक 06/02/23

गणपूर्ति 461 / 818 प्रस्ताव संख्या 05

विषय: अनापत्ति प्रमाण पत्र देने बारे *विभाग/संस्था को* लूणी पावर कंपनी प्रा: लि: 4.5 MW *के निर्माण हेतू* धरेड़ मुहाल *जंगल/ वन क्षेत्र में प्रस्तावित* 1.355 *हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतू।*

ग्राम सभा धरेड़ की बैठक आज दिनांक 06/02/23 को 11:00 बजे, स्थान पंचायत भवन धरेड़ में की गई, जिसमें लूणी पावर कंपनी प्रा.लि. विभाग/संस्था को बिजली लाईन के निर्माण हेतू वन अधिकार क्षेत्र मुहाल धरेड़ जंगल/वन क्षेत्र मे प्रस्तावित हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई।

सभी ग्रामवासियों ने संबधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतू उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह समझने के बाद सर्व सम्मति सें यह निर्णय लिया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर सहमत है।

ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम , 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सर्व सम्मति से यह पारित किया गया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे सम्बन्धित सारी प्रकिया पूरी की जा रही है/कर ली गई है तथा प्रस्तावित 1.355 हैक्टेयर वन भूमि को बिजली लाईन निर्माण हेतू उपयोग के लिए ग्राम सभा धरेड़ की सहमति दी जाती है।

स्थान धरेड़

दिनांक 06/02/2023

अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता

ग्राम सभा प्रधान

[signature] 06-02-2023

धरेड़ बैजनाथ जिला कांगड़ा (हि०प्र०)

Annexure-V

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम ,2006

ग्राम सभा तरस
विकास खण्ड बैजनाथ जिला कांगड़ा (हि०प्र०)

प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनांक 05/02/23

गणपूर्ति 61 / 112

प्रस्ताव संख्या 05

विषय: अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बारे विभाग/संस्था को लूनी पावर कंपनी प्रा: लि: 4.5 MW के निर्माण हेतु मुहाल तरस जंगल/ वन क्षेत्र में प्रस्तावित 0.4269 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतु।

ग्राम सभा तरस की बैठक आज दिनांक 05-02-23 को 2:00 बजे, स्थान पंचायत प्रधान के घर में की गई, जिसमें लूनी पावर कंपनी प्रा: लि: विभाग/संस्था को बिजली लाईन के निर्माण हेतु 0.4269 वन अधिकार क्षेत्र मुहाल तरस जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित 0.4269 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई।

सभी ग्रामवासियों ने संबधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यो को पूरी तरह समझने के बाद सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर सहमत है।

ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम , 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सर्व सम्मति से यह पारित किया गया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारो के दावों के निपटारे सम्बन्धित सारी प्रकिया पूरी की जा रही है/कर ली गई है तथा प्रस्तावित 0.4269 हैक्टेयर वन भूमि को बिजली लाईन निर्माण हेतु उपयोग के लिए ग्राम सभा तरस की सहमति दी जाती है। Rchauhan

स्थान तरस
दिनांक 05/02/23

अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता
ग्राम सभा तरस

Rchauhan

प्रधान / सचिव
वन अधिकार कमेटी
गाव तरस पंचायत फटाहर
तह० बैजनाथ जिला कांगड़ा (हि०प्र०).

Scanned with CamScanner

Annexure-V

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम ,2006

ग्राम सभा कंजराड

विकास खण्ड बैजनाथ जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनांक 01-02-2023

गणपूर्ति 311 / 612 प्रस्ताव संख्या 5

विषयः अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने को विभाग/संस्था को लूणी पावर कंपनी प्रा. लि 4.5 MW के निर्माण हेतु मुहाल कंजराड जंगल/ वन क्षेत्र में प्रस्तावित 3.0549 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतू।

ग्राम सभा कंजराड की बैठक आज दिनांक 01-02-2023 को 2:00 बजे बजे, स्थान पंचायत भवन सोहल में की गई, जिसमें लूणी पावर कम्पनी प्रा. लि. विभाग/संस्था को बिजली लाइन के निर्माण हेतु वन अधिकार क्षेत्र मुहाल कंजराड जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित 3.0549 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई।

सभी ग्रामवासियों ने संबधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतू उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह समझने के बाद सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर सहमत है।

ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम , 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सर्व सम्मति से यह पारित किया गया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारें सम्बन्धित सारी प्रकिया पूरी की जा रही है/कर ली गई है तथा प्रस्तावित 3.0549 हैक्टेयर वन भूमि को बिजली लाइन निर्माण हेतू उपयोग के लिए ग्राम सभा कंजराड की सहमति दी जाती है।

स्थान कंजराड

दिनांक ~~2022~~ 01-02-2023

अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता

ग्राम सभा कंजराड

अध्यक्ष सचिव

वन अधिकार समिति, कंजराहड़ (सिहल)

तह० बैजनाथ जिला कांगड़ा (हि०प्र०)

Scanned with CamScanner